प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत गजराबहरा कोलयार्ड से सुलियारी मार्ग के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1982 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में संक्षिप्त टीप ।

--00--

प्रस्तावित मार्ग निर्माण के उपरान्त ग्रामीणों को आवागमन हेतु मार्ग सुलभ हो सकेगा। जिससे इस क्षेत्र का विकास भी होगा। उक्त मार्ग निर्माण न होने के कारण ये वर्षाकाल में मुख्यमार्ग से पूर्णतः कट जाता है। ग्राम के लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त न हो पाने के कारण इस ग्राम के छात्र/छात्राएं शिक्षा के लिये शहरों की ओर आसानी से नहीं जा पा रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिये भी यह मार्ग अत्यंत ही आवश्यक है। वनोपज के परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हो जाने से समाज के सभी लोगों को फायदा होगा। ये मार्ग निर्माण पूर्णतया जनहित का कार्य है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न
जिला सिंगरौली (म0प्र0)